



2026:AHC:19392

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1316/2026

मिथुन उर्फ मयंक

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : हेमंत कुमार, पीयूष पांडेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अरिमर्दन यादव को सुना और प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 223/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना सिविल लाइन्स, जिला मेरठ में पंजीकृत प्रकरण में, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को गैंग-चार्ट में उल्लिखित सभी मुकदमों में पहले ही जमानत पर अवमुक्त किया जा चुका है।

आगे यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उन्हें बढ़ावा दिया है। उपरोक्त प्रकरण के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 30.08.2025 से जेल में है, वचन देता है कि वह जमानत मिलने की स्थिति में स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी रेखांकित किया गया कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबित संख्या को देखते हुए, विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648**, के मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत गैंग-चार्ट के अलावा आवेदक के विरुद्ध किसी अन्य प्रकरण की ओर संकेत नहीं कर सके।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और अभिलेख से स्पष्ट साक्ष्यों पर विचार करते हुए तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक मिथुन उर्फ मयंक को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा।
- (iii) आवेदक (i) वाद के आरंभ, (ii) आरोप तय करने और (iii) बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

28 जनवरी, 2026

पी.के.एस.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।